



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224091
CG-DL-E-01012021-224091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 669]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 804(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), तीसरा संशोधन, नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 के खंड (ड) में; "निश्चिता से त्रस्त" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात:-

"या मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बने नियमों के अधीन 'दिव्यांगजन' प्रकार के स्वामित्व के रूप में रजिस्ट्रीकृत"।

[फा.सं. एच-25016/02/2020-टोल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए थे और उन्हें तत्पश्चात्, सा.का.नि. संख्यांक 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.नि. संख्यांक 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. संख्यांक 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.नि. संख्यांक 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. संख्यांक 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. संख्यांक 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.नि. संख्यांक 2(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.नि. संख्यांक 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; सा.का.नि. संख्यांक 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.नि. संख्यांक 1114(अ), 2 दिसंबर, 2016; सा.का.नि. संख्यांक 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.नि. संख्यांक 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.नि. संख्यांक 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018; सा.का.नि. संख्यांक 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.नि. संख्यांक 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.नि. संख्यांक 298(अ), तारीख 15 मई, 2020 और सा.का.नि. संख्यांक 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 804(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection), Third Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 11, in clause (e), after the word “disability”; the following shall be inserted, namely:-

“or registered with Ownership type as “DIVYANGJAN” under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.”.

[F.No. H-25016/02/2020-Toll]

AMIT VARADAN, Jt. Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* number G.S.R. No. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12th October, 2011; G.S.R. No. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. No. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 2(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585(E), dated the 8th June, 2016; G.S.R. No. 1114(E), dated the 2nd December, 2016; G.S.R. No. 248(E), dated the 14th March, 2017; G.S.R. No. 427(E), dated the 7th May, 2018; G.S.R. No. 920(E), dated the 25th September, 2018; G.S.R. No. 942(E), dated the 20th December, 2019; G.S.R. No. 298(E) dated the 15th May, 2020 and G.S.R. No. 523(E) dated the 24th August, 2020.